



कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, गोगुन्दा जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक: - 859

E-mail - gcgogunda@gmail.com

Ph. No. - 02956294077

दिनांक: - 04-03-2023

सूचना

सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवायें समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिये जाने संबंधी सूचना

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक:- F17(10)DOP/ए- II/94 दिनांक 08.02.2018 की शर्तों के आधार पर तथा आयुक्तालय के पत्रांक F.1 () पीएस/आकाशि/2023/78 दिनांक 25.02.2023 के अनुसार इस महाविद्यालय में निम्नानुसार रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवायें समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति के माध्यम से लिये जाने के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. च. श्रेणी कर्मचारी - 02
2. बुक लिपटर - 01
3. लेखाकार - 01
4. पी.टी.आई. - 01

64 वर्ष से कम आयु के इच्छुक सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिक अंतिम दिनांक 14 मार्च 2023 तक अपना आवेदन प्रपत्र इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

पुनर्नियुक्ति की शर्तें (1 से 6):-

1. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जायेगा।
2. राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्त नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञेय होगा।
3. पुनर्नियुक्ति सेवाएं 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेंगी।
4. राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।
5. पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष / मोबाईल / इन्टरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
6. पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

नोट:- आवेदन के लिये निर्धारित प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तों के लिये कार्यालय से सम्पर्क करें।

निम्नलिखित स्थानों पर चरपा की गई।

1. तहसील कार्यालय गोगुन्दा।
2. बस-स्टैंड - गोगुन्दा।
3. कार्यालय- सूचना पट्ट
4. पंचायत समिति, गोगुन्दा
5. महाविद्यालय वेब पोर्टल।
6. जिला कलेक्टर कार्यालय, उदयपुर।
7. केन्द्रीय बस स्टैंड उदयपुर।

दिनांक 4.3.2023
डा. प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, गोगुन्दा
जिला-उदयपुर
राजस्थान